वित्तीय स्वीकृति-2022-23

संख्या-ए052-20222023-001-002-003-1348514/04/2022/801/52-2-2022-02(03)/2018

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये **वसीका कार्यालय, लखनऊ** के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनादि एवं अन्य व्ययों के भुगतान, **विशेष ऋणों पर ब्याज** तथा **पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ** मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष माह अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या-68/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2022-23 दिनांक 06-04-2022 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार **वसीका कार्यालय, लखनऊ** के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनादि एवं अन्य व्ययों के भुगतान, **विशेष ऋणों पर ब्याज** तथा **पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ** मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष माह अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक के लिए (04 माह) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नवत् तालिका के अनुसार प्राविधानित धनराशि को अधोलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखा अनुदान 2075- विविध सामान्य सेवायें -

800 अन्य व्यय-

03 वसीका कार्यालय, अधिष्ठान

(रू० लाख में)

क्र०	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि	माह अप्रैल से जुलाई, 2022 तक के लिए निर्गत हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	01-वेतन	48.00	16.00
2	02-मजदूरी	0.10	0.03
3	03-मंहगाई भत्ता	17.76	5.92

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4	04-यात्रा व्यय	0.05	0.02
5	06-अन्य भत्ते	1.00	0.33
6	07-मानदेय	0.05	0.02
7	08-कार्यालय व्यय	0.30	0.10
8	09-विद्युत देय	0.20	0.07
9	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.15	0.05
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.17
11	13-टेलीफोन पर व्यय	0.10	0.03
12	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50	0.17
13	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व	0.02	0.01
14	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.02
15	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.03
16	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	0.33
17	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.40	0.13
18	49-चिकित्सा व्यय	2.00	0.67
19	51-वर्दी व्यय	0.10	0.03
20	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	-	-
21	55-मकान किराया भत्ता	3.55	1.18
22	56-नगर प्रतिकर भत्ता	-	-
	योग	**75.93**	**25.31**

लेखा अनुदान 2049- ब्याज अदायगियाँ-

03-अल्पबचतों भविष्य निधियों पर ब्याज-

107-न्यासों तथा धर्मादाओं पर ब्याज-

(रू० लाख में)

क्र०	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि	माह अप्रैल से जुलाई, 2022 तक के लिए निर्गत हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	**03- विशेष ऋणों पर ब्याज**	1.80	0.60

लेखा अनुदान2075- विविध सामान्य सेवायें –

800–अन्य व्यय -

04-अवध वसीका पेंशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(रू० लाख में)

क्र०	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि	माह अप्रैल से जुलाई, 2022 तक के लिए निर्गत हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	**33-पेंशन/आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ**	01.00	0.33

कुल धनराशि रू० 26,24,000/- (रू० छब्बीस लाख चौबीस हजार मात्र)

2- (1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप प्रपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित लेखा शीर्षकों के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-ए052-20222023-001-002-003-1348514/04/2022/801(1)/52-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

5- वसीका कार्यालय,लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियेाजन अनुभाग-3

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।